

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- बजरंग पुत्र नोरत जाति माली उम्र 47 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर
-वादी

बनाम

- रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली उम्र 55 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई व अन्य
-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 183,188,209 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 457/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/...96...

वकील वादी:- योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1.8.25	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 183,188,209 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 1.09.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई	
10.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। नामिली रिपोर्ट मयाप (वास्तु इंताजार नामिली रिपोर्ट दिनांक 10.9.25 को पेश की। WS	
17/9/25	फत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वकील वादी ने नामिली रिपोर्ट पेश की। जो शामिल फत्रावली है पत्रावली वास्ते जवाब। हेतु दिनांक 24/9/25 को पेश हो। WS	नामिली रिपोर्ट प्राप्त
24/9/25	फत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। उपनिवृत्त उप0। जवाब हेतु प्रत्येक जवाब फत्रावली दिनांक 24/10/25 को पेश हो। WS	

11/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जाराण उद्योग / पंजाब
रिपॉजिटरी। अर्द्ध बरत हेतु दिनांक 11/3/26 को
पेश हो।

25/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जाराण उद्योग।
P.O. साहय सुनाच कार्यालय/द्वारा/भवकाश
का पत्र। पत्रावली पूर्ण को प्रमाणित
दिनांक 11/3/26 को पेश हो।
CW

11/2/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जाराण उद्योग।
पत्रावली वास्ते बरत हेतु दिनांक 18/3/2026
को पेश हो।
CW
उपखण्ड अधिकारी
अर्द्ध (अजमेरा)

18/3/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जाराण उद्योग।
उद्योग पञ्जाराण की बरत लुनी गरी। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। बाकी का वाद स्वीकार
किया जाता है। निर्णय पृष्ठक से लेयाट कर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली जैकल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

CW
उपखण्ड अधिकारी
अर्द्ध (अजमेरा)